



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



संख्या सीबीएसई/सीई/पीएस/समन्वय/2023

दिनांक: 28.08.2023

सीबीएसई से संबद्ध
सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य

विषय: OASIS में अद्यतनीकरण और अनुमत अनुभागों का विवरण भरा जाना

प्रिय महोदया/ महोदय,

यह उपरोक्त विषय के संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या सीबीएसई/सीई/पीएस/कोर्ड/2023 दिनांक 24.07.2023 के क्रम में है।

इस पत्र में निम्नलिखित के संबंध में इस प्रकार पढ़ा जाए:

"यदि विद्यालय कम सेक्शन चला रहे हैं (अनुदान पत्र/उन्नयन पत्र, जैसा भी मामला हो, में जारी पत्र में अधिक सेक्शन दिए गए हैं), ऐसी स्थिति में भी विद्यालयों को सेक्शन बढ़ाने के लिए SARAS पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में कोई शुल्क लागू नहीं होगा।"

यह आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए है।

हस्ता/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक

कृपया सूचनार्थ प्रति:

1. अध्यक्ष, सीबीएसई के उप सचिव- अध्यक्ष महोदया की सूचना हेतु ।
2. परीक्षा नियंत्रक, सीबीएसई के वरिष्ठ पीपीएस
3. निदेशक आईटी, सीबीएसई के पीपीएस
4. आईएफए, सीबीएसई
5. क्षेत्रीय निदेशक/ क्षेत्रीय अधिकारी, सीबीएसई
6. वेब प्रबंधक को इसे सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in

